

अचूक सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024-2025

(13)

2. पद साहायक फ-III

4. वेतनवृद्धि की अगली तिथि 01-07-2025

कर्मचारी का पूरा नाम ...
वर्तमान वेतन

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा म्योर गृह तथा अन्य भवन या भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावे कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया खरीदा पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उस का नाम तथा म्योर।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अम्पुवित
1	2	3	4	5	6	7

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

1. जो लागू न हो काट दीजिये। 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो यहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - म.प्र. शासकीय सेवक (आयुर्ग) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सोचा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा समस्त अवलम्बित सम्पत्ति का म्योर देवे।